

रखा में

श्रीमान तहसीलदार महोदय
रायपुर जिला-पाली (राज.)

विषय :- जमाबंदी खाता संख्या 15 में नाम/जाति दुरुस्ती करने बाबत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 138 नू राजस्व अधिनियम 1958

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम लिलाम्बा की जमाबन्दी सम्यत् 2074-77
के खाता संख्या 15 में मेरी जाति हरिजन नाम सतीया दर्ज है मंत्र
सही नाम सज्जनलाल जाति हरिजन है।
अतः सही नाम/जाति दुरुस्त कराने की कृपा करावें।

सज्जनलाल
प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी

महोदय रेकार्ड जमाबन्दी सम्यत् 2074-77 ग्राम लिलाम्बा के खाता संख्या 15
में प्रार्थी सतीया पुत्र सोनाराम जाति हरिजन दर्ज है। इसके बजाय प्रार्थी
सतीया सोनाराम निवासी लिलाम्बा अपनी जाति हरिजन नाम सतीया पुत्र सोनाराम
के बजाय जाति हरिजन नाम सज्जनलाल पुत्र सोनाराम दर्ज कराना चाहता है। जिसके
सही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Amrinder
पटवारी (सिआर)

कार्यालय तहसीलदार रायपुर (सिआर) थोवट

प्रशासन गाँवों के संग अधिनियम 2021 सिविल स्थल

क्रमांक :- 23/25/1813

दिनांक :- 03/06/2025

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, रायपुर को प्रेषित करे निवेदन है कि प्रार्थी श्री सज्जनलाल
पिता श्री सोनाराम जाति हरिजन निवासी लिलाम्बा
रायपुर की जाति मुताबिक रेकार्ड नाम सतीया तहसील
हरिजन दर्ज है, रिपोर्ट पटवारी के आधार पर सही सज्जनलाल पिता सोनाराम जाति
की जाती है। दर्ज किये जाने की अभिशंका

Amrinder
तहसीलदार रायपुर
जिला-पाली (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (पाली)



रिपोर्ट पटवारी हल्का -----


महोदय रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2074-77 वाम बीजा लिलाम्बा
पटवार हल्का 608,726 में लिलाम्बा को खाता संख्या 15 खसरा संख्या 227, 258,

सतीया पुत्र सोनाराम

अज्ञेय/असम्मानजनक वर्ज है। इसके जगह सज्जनलाल पुत्र सोनाराम

शुद्ध/सम्मानजनक कराना चाहता / किया जाना है।

जिसको दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।


पटवारी हल्का लिलाम्बा


रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत -----

पटवार हल्का लिलाम्बा के रिपोर्ट/ निरीक्षण / फर्द के अनुसार मेरे द्वारा जांच कर ली गई है। वर्तमान जमाबंदी एव रिकार्ड के अनुसार प्रस्तावित रिकार्ड दुरुस्ती किया जाना उचित है।


भू.अ.निरीक्षक वृत
I.L.R. राजपुर

रिपोर्ट तहसीलदार, राजपुर

रिपोर्ट/निरीक्षण पटवार हल्का लिलाम्बा जांच भू.अ.निरीक्षक वृत राजपुर
के आधार पर रिकार्ड की दुरुस्ती किये जाने की अनुराधा की जाती है।


तहसीलदार,
तहसीलदार-रायपुर
जिला-पाली (राज.)

राजस्थान सरकार



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)
(पीठासीन अधिकारी प्रसंगिक मामलों के बीच अप्रिजन 2023 नैप कोर्ट)

कैम्प का स्थान G.C.M.S Number 2025/187

प्रार्थना पत्र / वाद संख्या 19/2025

दिनांक 04/06/2025

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी (लि.लि.श.सि.) व पृ. ब.नि.

रायपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रायपुर की अनुसूचा के आधार पर राजस्थान पृ. राजस्व

अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम (लि.लि.श.सि.) तहसील रायपुर जिला ब्यावर

की जमाबन्दी सम्बन्ध 2074-2077 में खाता संख्या 15 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम/पटवार हत्का	खाता संख्या	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	लि.लि.श.सि.)	15	227 258 608 726	सतीश पुत्र सोनाराम	सख्तजनलाल पुत्र सोनाराम



पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी 2 रायपुर (ब्यावर) 25
दिनांक-

क्रमांक / कोर्ट / 523
2025
प्रतिनिधि:-

1. तहसीलदार, रायपुर को भजे कर लेख है कि अवेधानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीम किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री सख्तजनलाल पुत्र सोनाराम जाति हरिजन को सुघनार्थ

3. दलित पत्रावली निगमी लि.लि.श.सि.)



पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर) पदेन सहा. कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)